न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री दीपेन्द्रसिंह राठौर आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या – 63/2012 राजस्व वाद

दायर दिनांक–19/7/2012

निर्णय दिनांक – 20.4.16

1–श्री मती मीरा देवी मीणा पत्नि डॉ0 कमरसिंह मीणा निवासी बडौली तहसील गंगापुरसीटी हाल बनकोडा तहसील आसपुर

(वादीया)

बनाम

1– दीपक पिता रामाजी बामणिया निवासी लक्ष्मणपुरा
2– रमु उर्फ रमण पिता दीपक बामणिया
3– प्रकाश पिता दीपक बामणिया
4– रामचन्द्र पिता दीपक बामणीया
5– श्रीमती धन देवी पत्नि दीपक बामणिया
6– श्रीमती काली पत्नि रमु उर्फ रमणलाल मीणा
7– श्रीमती आशा पत्नि प्रकाश बामणिया निवासी लक्ष्मणपुरा
8– राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सागवाडा

(प्रतिवादीगण)

वकील वादीया –श्री चन्द्रशेखर शुक्ला

वकील प्रतिवादीगण– –

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने इस आशय की प्रतिवादीगण वादीया के कब्जे एवं स्वामित्व की क्रय शुदा भूमि पर जबरन अनाधिकार पूर्वक अतिक्रमण नहीं करें तंग एवं परेशान नहीं करें खेती करने एवं कराने में व्यवधान उत्पन्न नहीं करें एवं न ही किसी अन्य के मार्फत उक्त कृत्य करावें अन्तर्गत धारा 88,188 ,209 राज0टि0एक्ट

निर्णय

वाद वादीया का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीया के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की जमीन मोजा लक्ष्मणपुरा की जमाबन्दी संवत 2063–66 तक में खसरा नम्बर 3890 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा स्थित है जो वादिया ने प्रतिवादी नं0 5 से गत दिनांक 7–5–2008 को जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज विक्रय विलेख से क्रय किया है जिसे उपपंजियक सागवाडा के समक्ष गवाहान के रूबरू प्रतिवादी नं0 5 धन देवी की सहमती एवं स्वैच्छा से तकमिल करवाया है । उक्त दस्तावेज पश्चात नामान्तरकरण 1947 दिनांक 21/7/2008 हो चुका है एंवं वर्तमान में वह उक्त जमीन का कब्जा एवं स्वामित्व रखती है ।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

यह कि उक्त आराजी के दक्षिण तरफ 15 फीट का चौडा रास्ता है जो उक्त आराजी को मुख्य सडक से जोडता है जिसका उपयोग व उपभोग विकेता ने अपनी उक्त रजिस्ट्री कमें किया है एवं वादिया उक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग करते हुए उक्त जमीन में आना जाना करती है । उक्त जमीन के बेचान के बाद अन्य सभी प्रतिवादीगण ने रू0 100/– के स्टाम्प पर सहमति पत्र लिखते हुए प्रतिवादी नं0 5 का मुझ वादीया से कोई रूपया लेना शेष नहीं होने और कब्जा एंव स्वामित्व वादीया का कायम कर देने का लिखा है जिसे नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवा दिया है । प्रतिवादीगण पिछले करीब साल भर से उक्त जमीन पर जबरन एवं अनाधिकार पूर्वक अतिक्रमण की चेष्टा से आते है और वादीया को तंग व परेशान करते है जिससे वादीया द्वारा वर्ष 2012 फरवरी में प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 107–151 जा0फौ0 की कार्यवाही की थी । प्रतिवादीगण द्वारा मौके कपर से सीमेण्ट की ठेबीया थी उसे भी उखाडने की कोशिश की है । अतः वादीया ने वाद पत्र मे अंकित व दर्शित वाके मौजा गोवाडी की जमाबन्दी संव 2063–66 के खसरा संख्या 3890 रकबा 2 बीधा 17 बिस्वा में प्रतिवादीगण जबरन व अनाधिकार पूर्वक अतिक्रमण नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया गया है ।

वादी की ओर से वाद की पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए वाद के साथ रजिस्टर्ड विक्रय विलेख आराजी नम्बर 3890 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा दिनांक 7.5.2008, एवं जमाबन्दी संवत 2063–69, दस्तावेज सहमती पत्र प्रस्तुत किए गए है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने सम्मन जारी किए गए । प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 29/7/2013 को जवाब पेश हुआ जिसमे प्रतिवादीगण ने वादीया को 2बीघा 17 बिस्वा भूमि नहीं बेचकर 1बीघा17 बिस्वा भूमि विक्रय करना , एवं वादीया का कब्जा भी 1 बीघ्झा 17 बिस्वा पर होना तथा शेष भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा होना ,विक्रय की गई आराजी के दक्षिण तरफ रास्ता 15 फीट वादीया ने गलत रूप से रजिस्ट्री में लिखवा देना ,दिनांक 18/8/2015 को कोई सहमती पत्र नहीं लिखना बताते हुए उक्त दस्तावेज लिखने की कोई जानकारी प्रतिवादी संख्या 5 एंव उसके रिश्तेदारों को नहीं होना बताया है । इसके अतिरिक्त जवाब के अन्त में विशेष विवरण में वादीया को मोके पर 1 बीघा 17 बिस्वा का कब्जा देना तथा इतनी ही जमीन बेचना लेकिन बेंईमानी एवं षडयंत्र से 2 बीघा 17 बिस्वा की रजिस्ट्री करवा देने से वाद वादीया खारीज किए जाने का निवेदन किया गया है ।

दिनांक 16/2/2015 को प्रतिवादी एवं वकील प्रतिवादी अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाकर साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई । वादी की ओर से साक्ष्य में वादीया स्वयं श्रीमती मीरा देवी पीडब्लू–1एवं कमरसिंह पीडब्लू–2 के बयान कलमबद्ध कराये जाकर साक्ष्य वादी समाप्त की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
सूरावाड़ा

Scanned by CamScanner

साक्ष्य वादी समाप्ति के पश्चात वकील वादी की एक पक्षीय बहस समायत की गई । विद्वान अभिभाषक वादी ने अपनी बहस में वाद वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए हमारा ध्यान प्रदर्श 1 ए दस्तावेज बेंचाननामा आराजी रकबा दो बीघा 17 बिस्वा की ओर आकर्षित करते हुए प्रतिवादी संख्या 5 के हस्ताक्षर ए से बी होना एवं खाता संख्या 70 के खसरा संख्या 3890 कुल रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा में से 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि वादीया द्वारा कय की जाना तथा इस विकय का जरिये नामान्तरकरण संख्या 278 जो कि प्रदर्श 2 ए है के द्वारा रेकार्ड में अमल दरामद होना एवं इस विकय के सम्बन्ध में सहमती पत्र प्रदर्श 3 ए है जो विकय दस्तावेज के बाद का है जिसमें भी प्रतिवादीगण के सहमती के हस्ताक्षर है । वकील वादी ने अपनी बहस समाप्त करते हुए वादीया द्वारा 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि कय की जाना , विकय विलेख निष्पादन के समय उप पंजियक द्वारा विकय की जाने वाली सम्पत्ति एवं विकय राशि प्राप्त कर लेने बाबत सन्तुष्टि उपरान्त ही दस्तावेज पंजिबद्ध किया गया है इसी अनुसार कब्जा स्वामित्व वादीया का होना बताते हुए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का निवेदन किया गया है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक वादी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया ।

जमाबन्दी खाता संख्या 278 खसरा संख्या 3890 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा की खातेदार धन देवी पत्नि दीपक बामणिया भील सा0 लक्ष्मणपुरा खातेदार दर्ज रेकार्ड है । इस क्षेत्रफल में वादीया द्वारा 17बिस्वा भूमि परिदेवी पत्नि बसन्तलाल बामणिया कों एवं शेष रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि वादीया को विकय किए जाने से जरिये नामान्तरकरण अमल दरामद का अंकन है। रजिस्टर्ड विकय विलेख प्रदर्श 1 ए में भी प्रतिवादी के द्वारा वादीया को 2बीधा 17 बिस्वा भूमि का विकय किया जाना एवं कब्जा सुपुर्द किए जाने का उल्लेख होकर इसमें विकेता प्रतिवादी संख्या 5 के हस्ताक्षर है । प्रतिवादीगण की ओर से यह कहना कि गलती से वादीया को 1बीघा 17 बिस्वा भूमि विकय की है लेकिन वादीया ने षडयंत्र से 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि दस्तावेज में लिखवा दी है ,प्रतिवादीगण की ओर से इस तथ्य की सत्यता की पुष्टि मे कोई साक्ष्य अथवा ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए गए है । प्रतिवादीगण की ओर से ऐसा कोई प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसमें इस विकय विलेख को निरस्त कराया जाने किसी सक्षम न्यायालय में चाराजोई की हो ।

अतः वाद वादीया स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा गोवाडी की जमाबन्दी संवत 2063–69 के खसरा नम्बर 3890 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा में प्रतिवादीगण जबरन एवं अनाधिकार पूर्वक आराजी में अतिक्रमण नहीं करें ,वादिया को तंग एवं परेशान नही करें न ही किसी अन्य के मार्फत करावे वादिया के आवागमन के मार्ग में आने जाने में एंव वादिया के उक्त आराजी में खेती करने बीज बोने खेत जोतने हल बैल व वाहन लाने ले जाने फसल काटने फसल लाने

उपखण्ड अधिकारी
सलूम्बर

Scanned by CamScanner

ले जाने में वादीया को व उसके परिवार को व उसके मार्फत नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को व्यवधान उत्पन्न नही करें एवं न ही किसी अन्य के मार्फत उक्त कत्य करावे ।

निर्णय आज दिनांक 20.4.16 को खूले न्यायालय में सुनाया गया । डिकी पर्चा जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार हो ,नम्बर से कम हो ।

(दीपेन्द्र सिंह उपखण्ड अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner